


29-12-25

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट अनुपस्थित। वकील अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाजे लगाई गई। परन्तु ना तो अपीलांट हाजिर आये तथा ना ही अपीलांट स्वयं हाजिर आये। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव पत्रावली चलाने में अरुचि जाहिर करता है। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी अदम हाजरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दीनानाथ बबल)

अधिवक्ता जिला कलकत्ता

सुप्रीम

